न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 68 सन 2017

अनवान :–

1. कुलदीपसिह पुत्र भागमल जाति जाट साकिन चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद।

बनाम

1. भागमल पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 06.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 127/113 की कुल 13.9520हैक में से 1/3 हिस्से वादी व प्रतिवादी दोनो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 128/114 की कुल 7.4130 हैक वादी व प्रतिवादी संख्या दोनो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है व चक 14 केएनएन के खाता संख्या 126/120 की कुल 2.4800हैक में से 1/3 हिस्से व चक 14 केएनएन के खाता संख्या 110/102 की कुल 0.7590हैक वादी व प्रतिवादी दोनो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मधाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मधाराम एवं दादी नाथीदेवी के फोत होने पर वाद भूमि वादी के पिता भागमल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में

सुखीदेवी फौत

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है को प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के स्थान पर रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 127/113 की कुल 13.9520हैक में से 1/3 हिस्से में वादी व प्रतिवादी दोनो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 128/114 की कुल 7.4130 हैक में 1/3 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या दोनो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है व चक 14 केएनएन के खाता संख्या 126/120 की कुल 2.4800हैक में से 1/3 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार हैव चक 14 केएनएन के खाता संख्या 110/102 की कुल 0.7590हैक वादी व प्रतिवादी दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official